मशीनी ज़िब्ह

नवां फ़िक़्ही सेमिनार (जयपुर) दिनांक 27-30 जमादिउल ऊला 1417 हिजरी, 11-14 अक्टूबर 1996 ई॰ को आयोजित हुआ।

मशीनी ज़िब्ह के मसले पर इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी के सातवें सेमिनार आयोजित भरोंच में चर्चा की गयी थी और इसके कुछ पहलुओं के औचित्य और कुछ पहलुओं के अवैद्य हाने पर सहमति हो गयी थी।

एक पहलू के बारे में उलमा व मुफ़्तियों की राएं भिन्न भिन्न थी और सेमिनार की सोच थी कि इस मसले पर दोबारा सोच विचार किया जाए, और सहमत और असहमत दोनों के तर्कों का ख़ुलासा दोबारा शतिनिधियों की सेवा में भेजा जाए ताकि वे फिर से सोच विचार करके मसले पर अपनी राए दे सकें।

अतएव अकेडमी ने दोबारा इसी सिलसिले मे एक विस्तृत सवालनामा भेजा और इसके जो जवाब आए उनकी रोशनी में निम्न बातें तय पायीं:

.1 यदि जानवर बिजली द्वारा चलने वाले ज़ंजीर या पट्टे से लटक कर बेहोशी के मरहले से गुज़रने के बाद ज़िब्ह करने वाले के समाने पहुंचता है और ज़ाबेह बिस्मिल्लाह कह कर उसे अपने हाथ से ज़िब्ह कर देता है और जानवर के ज़िब्ह के समय उसके जीवित होने का विश्वास है तो यह सूरत सर्व सहमति से वैद्य है, इसलिए कि इसमें केवल जानवर का उठाया जाना लटकाना मशीन द्वारा होता है, बाक़ी ज़िब्ह हाथ से किया जाता है, इसलिए फ़िक़्ह अकेडमी इसी तरीक़े को अपनाने पर ज़ोर देती है, और यदि आवश्यकता हो तो ज़िब्ह की गति तेज़ करने के लिए कई ज़ाबेह नियुक्त किए जा सकते हैं।

.2 मशीनी ज़िब्ह की ऐसी सूरत जिसमें जानवर को उठाने, लटकाने और ज़िब्ह दोनों काम मशीन ही करे, इस श्कार कि बटन दबाने के साथ मशीन हरकत में आ जाए और उस मशीन पर नम्बर से जानवर आता जाए। इस सूरत के बारे मे तीन रायें हैं -

(अ) पहला जानवर हलाल होगा, इसके बाद जो जानवर ज़िब्ह होते जाएं वे वैद्य नहीं हैं, यह अधिकांश भाग लेने वालों की राए है।

(ब) पहला जानवर भी हलाल न होगा, यह कुछ लोगों की राय है जो ये हैं

मुफ़्ती शब्बीर अहमद क़ासमी, मुरादाबाद

मौलाना मुजीबुल गफ़्फ़ार असद आजमी, बनारस

मौलाना बदर अहमद मुजीबी, पटना

मौलाना अवुल हसन अली, गुजरात

(स) पहला जानवर भी हलाल होगा और बाद में जो जानवर इस क्रिया के समाप्त कर देने से पहले पहले ज़िब्ह हो जाएं वे भी हलाल हैं यह राय निम्ल लोंगों की है -

मौलाना रईसुल अहरार नदवी, मौलाना सबाहुद्दीन मलिक फलाही, सुलतान अहमद इस्लाही, मौलाना जलालुद्दीन अन्सर उमरी, मौलाना याकुब इस्माईल, मौलाना सदरुल हसन नदवी, काज़ी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी, मौलाना खालिद सैफफल्लाह रहमानी, मुफ्ती नसीम अहमद कासमी और मौलाना ऐजाज़ अहमद क़ासमी।

3 जिन लोगों के निकट मशीन द्वारा ज़िब्ह की सूरत में पहला जानवर हलाल हो जाता है उनके निकट यदि ऐसी मशीन अविष्कार हो जाए जिससे बडी संख्या में छुरियां जुडी हों और बटन दबाते ही एक साथ चल कर एक एक जानवर को एक साथ ज़िब्ह कर देती हों तो यह तमाम जानवर हलाल हो जाते हैं।

4 स्पष्ट रहे कि मशीनी ज़िब्ह के बारे में ये निर्देश मशीन के विशेष स्वरूप और बनावट को सामने रखकर तय किए गए है, हर तरह और हर श्कार की मशीन पर इसका चरितार्थ नहीं होगा, बल्कि मशीन की विशेष शक्ल व सूरत और कार्य विधि की रोशनी में उसका हुक्म निर्धारित किया जा सकता है।

☆☆☆